खण्ड-12 संख्या-16

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि 24 जुलाई, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार तिथि 24 जुलाई, 1989 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, **श्री मो० हिदायतुल्लाह खाँ** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

विश्वनाथ त्रिवेदी,
सचिव,
बिहार विधान-सभा

पटना
तिथि 24 जुलाई, 1989 ई०

है । सब कुछ सोच समझ कर नियम के अनुसार किया गया है और नियम के अनुसार ही किया जायेगा ।

वित्तीय कार्य : वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान : मंत्रि परिषद, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन ।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस राज्य में जब मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ और इस राज्य का जब मुख्यमंत्री सत्येन्द्र बाबू बने तो मैनें सोचा कि सत्येन्द्र बाबू को चरित्र सामन्ती चरित्र रहा है ।

(इस अवसर पर मा० सदस्य श्री वृषिण पटेल ने फलोर क्रौस किया जिसके लिए उन्होनें खेद व्यक्त किया ।)

और जब सत्येन्द्र बाबू मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके सामंती चरित्र में परिवर्त्तन आयेगा और बिहार की गरीब, शोषित, पीड़ितों की रक्षा होगी ।

श्री बृज मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री के बारे कहा है कि इनका सामन्ती चरित्र रहा है इसे ये वापस कर लें ।

श्री जनार्दन यादव : मैं वापस कर लेने वाला नहीं हूं आप बार-बार बोलते रहिये ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मुझे खुशी है सामंतवादी पार्टी वाले सामन्ती की बात कर रहे हैं ।

श्री जनार्दन यादव : रामाश्रय बाबू बिहार विधान सभा के नियमों के जानकार हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा में पूछना चाहता हूं कि बिहार विधान सभा में हजारीबाग के दंगे में भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जोड़ा है । उस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सदस्य विधान सभा में उपस्थित नहीं थे और इन्होंने हजारीबाग दंगे के संबंध में कोई न्यायिक जांच नहीं करायी है, किसी प्रकार की जांच नहीं करायी है फिर किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हजारीबाग के दंगे में शामिल किया है ।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक हजारीबाग और बहेड़ा में जो दंगा हुआ है मैं आपके माध्यम से सरकारी बेंच पर यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि हजारीबाग के दंगे में जो आपके कानून मंत्री हैं और बाबू रामाश्रय सिंह मंत्री हैं, हजारीबाग में बैठ कर वहां दंगा कराया है । इसमें दो मत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, सत्येन्द्र बाबू के कार्यकाल में जो हमने उम्मीद की थी...

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर चार्ज लगाने से यदि जनार्दन बाबू का पाप छिप जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री जनार्दन यादव : आप हजारीबाग में हुए दंगों की न्यायिक जांच कराइये । अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ साबित हो जायेगा तों मैं बिहार विधान सभा की सदस्यता से रिजाईन कर दूंगा और यदि न हो तो आप रिजाईन करनें के लिये तैयार हो जायं ।

श्री महेन्द्र नारायण झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, बहेड़ा में अभी चर्चा हुई है । सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार बहेड़ा में दंगों की न्यायिक जांच करावें । यदि उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं हुआ तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री मो० हुसैन आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है । इनको जमशेदपुर में जो राईट हुआ, तो वहां जुडिशियल इंक्वायरी हुई । उसकी जो फाइंडिंग हुई, उसको माननीय सदस्य को पढ़ लेने के लिये कह दीजिये ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर । हजारीबाग में दंगे हुए । सरकार किसकी थी, उसको रोकने की जिम्मेबारी किस की थी और उनकी विफलता थी या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण है ।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बिहार में सत्येन्द्र बाबू के कार्यकाल में जितनी हत्याएं हुई हैं, उस आधार पर सत्येन्द्र बाबू और उनके जो साथी मंत्री हैं, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिये था । तीन माह के अन्दर 1884 लोगों की जान गयी । क्या यही सरकार की एफिशियेंसी का आधार है ?

अध्यक्ष महोदय, इसी दौरान बिहार में 500 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ । अभी-अभी संथालपरगना में गोडडा जिला के ग्वारीजोड़ प्रखंड में पांच आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ ।

श्री सियाराम राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य को यह भी पता नहीं है कि अध्यक्ष

महोदय, किधर बैठे हुए हैं । ये सीधे इधर देख रहें हैं और अध्यक्ष महोदय किस को कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार को एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि सरकार के शासनकाल में जो इस राज्य के शोषित, पीड़ित और पिछड़े लोग हैं उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है । जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो अपने अधिकारों के लिये लड़ाई लड़ रहा है । उसको नक्सलाईट कह कर आतंकवादी कह कर मारा जा रहा है । इसलिये आपके माध्यम से मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको रहने का हक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, बांका अनुमंडल में आज एक साल से कोई अनुमंडल पदाधिकारी नहीं है । सत्येन्द्र बाबू मुख्यमंत्री बने तो दूसरे ही दिन मैंने उनसे कहा था कि बांका में अनुमंडल पदाधिकारी नहीं है और आज चौथा महीना बीत रहा है । सत्येन्द्र बाबू एक अनुमंडल पदाधिकारी बांका में पदस्थापित नहीं कर पाये । इनका प्रशासन पर क्या ग्रिप है? मैं कहना चाहता हूं कि इस राज्य में स्वास्थ्य विभाग में एक मदन प्रसाद हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं । जब वह रांची में थे ग्लिसरीन कांड में हजारों लोगों की जान गयी । हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया कि इनको सजा मिलनी चाहिये । दुबेजी की सरकार उसको स्थानांतरित नहीं कर पायी, भागवत झा आजाद की सरकार उसका स्थानांतरण नहीं कर पायी । उसका अब दो-दो बार स्थानांतरण हुआ लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने अपनी कलम से उस मदन प्रसाद का

स्थानांतरण रोक दिया है । यदि मुख्यमंत्री एक साधारण ड्रग इंस्पेक्टर का स्थानांतरण रोका है तो क्या स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उसको यह दूर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं । जिस पर हजारों को मारने का आरोप है, हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है, उसको सस्पेंड होना चाहिये, नौकरी से निकाला जाना चाहिये लेकिन पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में वह पदस्थापित है और ऐसा आदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बांका में एक आई० पी० एस० अफसर हैं श्री वर्मा, वह पहले भभुआ में थे । भभुआ में थे तो उन्होंने अपने दलालों के माध्यम से पैसा कलेक्ट किया, अपने दलालों के माध्यम से बनारस में होटल में ठहर कर लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया । आज बांका में आ गये । छः तारीख की घटना है तेलिया ग्राम पंचायत के मुखिया....

(पीठासीन पदाधिकारी, श्री भोला सिंह, ने असान ग्रहण किया)

जो हॉस्पिटलाईज थे, बांका सदर अस्पताल में उसको पकड़ कर हाजत में बन्द कर दिया । डाक्टर के मना करने के बाबजूद और हाजत से निकाल कर उनके साथ मारपीट की । तेलिया पंचायत के ही प्रधानाध्यापक को हाजत में बंद कर दिया गया और हाजत से निकाल कर उनके साथ भी मारपीट की, यही आपका प्रशासन है ।

इसलिये सभापति महोदय, मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस कार्यकाल में बिहार का विकास नहीं हो सकता है । बिहार

का विकास नहीं हो सकता है, सत्येन्द्र बाबू बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं । सत्येन्द्र बाबू बिहार के विकास के लिए प्रत्येक राज्यों को जो केन्द्रीय अनुदान मिला है, व्यक्ति के आधार पर, बिहार की आबादी के अनुसार, बिहार के विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान के आधार पर मांग कर सकेंगे । बिहार का जो खनिज द्रव्य है, खनिज द्रव्यों के मूल्यों के आधार पर मांग कर सकेंगे । सत्येन्द्र बाबू केन्द्र सरकार जो फैसला करता है, उसके खिलाफ जाते हैं । आज बिहार की जो कड़ी है, किसानों पर...

सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री जनार्दन यादव : सभापति महोदय, मजदूर मारे जा रहे हैं । इसलिये सत्येन्द्र बाबू इस बिहार का कल्याण नहीं कर पायेंगे । सत्येन्द्र बाबू के ही शासन काल में मंत्रि परिषद में जो ट्रांस्फर हो रहा है, इनके मंत्रिपरिषद में ऐसे लोग हैं जो ट्रांस्फर पोस्टिंग पैसे के आधार पर करते हैं । इसलिए एक पैसा इनको नहीं मिलना चाहिये ।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा : सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन पर जो मांग सदन में पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं । सचमुच में किसी सरकार के अच्छी नीतियों का कार्यान्वयन प्रशासन के माध्यम से ही होता है और वस्तुतः सरकार का प्रभाव, उसकी छवी का मुख्य श्रोत प्रशासन होता है । यदि कर्मचारी अच्छे होगें, तो सरकार अच्छी होगी और यह

बात मानी जायगी । आज हमारी सरकार की जो नीतियां है, उसके कार्यान्वन के लिये वर्त्तमान सरकार को संवेदनशील होना होगा । हमारे कुछ साथी जो आज सदन में पुर्व वक्ता के रूप में बोल रहे थे तो बहुत सारी बातों की चर्चा कर रहे थे और आंकड़े पेश कर रहे थे कि अपराध का सिलसिला बढ़ा है और अपराधीकर्मियों से सरकार की सांठ-गांठ हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका दामन साफ नहीं हैं । इधर बैठने का मौका आपको मिलने को नहीं है लेकिन कुछ दिनों के लिये आप इधर बैठे थे, आपको कुछ दिनों के लिये सत्ता पक्ष में बठने का मौका मिला था । मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उस समय के तत्कालीन मंत्री, श्री कपिलदेव बाबु ने कहा था कि हम गुण्डा को रखते हैं और ये कहते है कि सरकार अपराधकर्मियों को संरक्षण देती है । इनके समय में ही बड़हिया में बच्चे, नौजवान मारे गये थे, जनता पार्टी की सरकार के समय में, सभापति महोदय, यह आपको भी मालुम है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समस्तीपुर में उप चुनाव हुआ था, पुरा प्रशासन तंत्र उसमें लगा हुआ था, प्रशासन को कहा गया था कि गुण्डों को संरक्षण दो, किसी भी हालत में कांग्रेसी प्रत्याशी जीतना नहीं चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो दंगे हुए, हजारीबाग में जो दंगा हुआ तो उसको कितने कम समय में दबा दिया गया, दंगा पर कम समय में काबु पा लिया गया लेकिन लेकिन आपके समय में जमशेदपुर में जो दंगे हुए...

श्री मुंशीलाल राय : सभापति महोदय, मेरा बात सुन ली जाय, मैं व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं ।

सभापती : आप किस नियम के तहत बोलना चाहते हैं ?

श्री मुंशीलाल राय : नियम 68 के अन्तर्गत ।

सभापति : 68-साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये सभा की बैठकों में से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा ।

श्री मुंशीलाल राय : इन्होंने समस्तीपुर चुनाव का जिक्र किया है ।

सभापति : साक्ष्य के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा है । यह कहां से सवाल उठा है ?

श्री मुंशीलाल राय : मैं वही सवाल उठा रहा हूं । समस्तीपुर चुनाव के बारे में ये जो जिक्र कर रहे हैं ।

सभापति : यही है 68 । शांति । आप बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार की बात कहते हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भ्रस्टाचार की बात कहते हैं । इनके बैजनाथ मेहता यहां के मंत्री थे, एक भ्रष्ट औफिसर के चलते उनको मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस राज्य में हजारीबाग में दंगे हुए लेकिन वे दंगे चन्द दिनों में ही रुक गये और

साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमें विरोधी दल पर आंच आयी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका दामन पाक-साफ नहीं है । आज हमारी सरकार कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने का प्रावधान किया है और उस प्रावधान के अन्दर आरक्षण की नीति का पालन करने के लिये डीसेन्ट्रलाइजेशन जैसे पावर को जनता के बीच लाया गया है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में भी ध्यान रखना होगा । जैसा औडिट रिर्पोट आता है, अंकेक्षण होते हैं, उसके अनुसार विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, वह लम्बित रह जाता है और भ्रष्टाचार वहां पर जाकर हमारे बीच उपस्थित रहता है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में दियारा एक बेल्ट है । बेगुसराय जिला के किसानों का यह बेल्ट है । हाल ही माननीय मुख्यमंत्री विकास प्राधिकार की घोषणा कि है । हम आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि किसान के विकास पदाधिकारी का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए जिससे मुंगेर और बेगुसराय जिला के सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र का अंश है उसका विकास हो सकेगा ।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बेगुसराय में कृषि प्रक्षेत्र का बहुत बड़ा भाग है, बहुत जमीन है, इसलिये वहां केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए मैं

सरकार से मांग करता हूं । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री बीरबल शर्मा : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के सर्मथन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । बिहार में जैसे ही मुख्यमंत्री के रूप में बाबू सत्येन्द्र नारायण सिंह आये तो मुझे बड़ी खुशी हुई और इसलिये खुशी हुई कि ये एक अच्छे परिवार से आये हैं और काम करेंगे लेकिन जैसे आये गांधी टोपी वाले मुख्यमंत्री तो धनवाद के एक अच्छे डी० सी० श्री मदन मोहन झा को हटा दिया । वे अच्छा काम करते थे, उसको ये बोरिया-विस्तर बंधवा दिया । ऐसा काम करने से अच्छे औफिसरों का मनोबल टूटता है । विधि व्यवस्था के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारा जिला आक्रान्त जिला है । और वहां से दो-एक एम० एल० ए० की हत्या हो गयी, त्रिलोकी जी मारे गये और नगीना बाबू आज हमारे बीच में नहीं है, सरकार कितना भी कहे लेकिन वे भी मारे ही गये है ।

श्री संकटेश्वर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति : किस धारा के अन्तर्गत ?

श्री बीरवल शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रोज इस तरह की घटनायें हो रहीं हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति हमारे जिला में है ।

श्री संकेटेश्वर सिंह : सभापति महोदय, मैं एक इनफोरमेशन दे रहा हूं ।

सभापति : इनफोरमेशन तब दीजिएगा जब माननीय सदस्य बैठ जायेंगे ।

श्री संकेटश्वर सिंह : मैं एक इनफोरमेशन देना चाहता हूं ।

सभापति : मैं कह रहा हूं कि इनफोरमेशन तब होगा । जब वे बैठ जायेंगे ।

श्री संकटेश्वर सिंह : माननीय सदस्य बदली की बात कर रहे हैं ।

सभापति : मिनिस्टर पार्लियामेंन्ट्री एफेयरस आप कृपया अपने सदस्य को बैठने को कहें ।

श्री बीरबल शर्मा : सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह समस्या है और आपने देखा कि अपराध नियंत्रण के लिए हमारे श्री रामचन्द्र खां, जैसे डी० आई० जी० पोस्टेड थे, श्री मूर्ति राय जैसे डी० आई० जी० पोस्टेड थे, श्री ज्योति बाबू जैसे डी० आई० जी० पोस्टेड थे उनको हटाकर एक ऐसे डी० आई० जी० को पोस्ट किया गया जो सुख-आराम से अपने धर में सोता है, आपने डी० एस० पी० से परोमोटेड एस० पी० को वहां दिया, जिसको वहां नहीं देना चाहिए था, ऐसे जिला में नहीं देना चाहिए था और डी० एस० पी० आपने सड़ा हुआ हमारे जिला में दिया । डी० आई० जी० क्या करते हैं । तीन-तीन सौ रुपये प्रत्येक थाना में उसका बंधा हुआ है, एस० पी० को प्रत्येक दारोगा को तीन तीन सौ रुपये महीना में देना पड़ता है । मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना त्रिलोकी जी के साथ घटी, उसमें

60 हजार रुपए प्रमुख चमारी महतो का रखे हुआ था, चमारी महतों को रुपया नहीं दिया, जिसके चलते चमारी महतो का जो जंगल में पत्तल नोनीया....

सभापति : अब आप बैठ जाइये ।

श्री बीरबल शर्मा : सभापति महोदय, गलत लोगों को वहां फसाया गया है और डाकू लोगों को छुट दी गयी हैं हम यह कहना चाहते हैं ।

सभापति : अब आप बैठ जायें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बीरवल शर्मा : दो मिनट और बोलने दिया जाय ।

सभापति : अब बैठ जायें ।

श्री नील मोहन सिंह : सभापति महोदय, इस पवित्र सदन में जो सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन के लिए जो मांग उपस्थापित की गयी है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है कि उसके नेता को संवैधानिक, कानूनी प्रक्रिया में अंखड विश्वास हो, लेकिन इससे भी अधिक महत्व की बात है कि वह किस सार्थकता के साथ, किस सफलता के साथ मानव की स्वतंत्रता के प्रश्न के मुल्यों को लोकतांत्रिक धारणा से संविधान के पन्नों से खींचकर धरती पर सहजता के साथ, किस सफलता के साथ कर्मभूमि पर उतारे । मैं स्पष्ट रूप से

कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नेता सदन के समक्ष सारी बातों को किस प्रकार अपनी योगयता पर विश्वास रखते हुए, अपने विवेक पर विश्वास रखते हुए सामुहिक निर्णय के सामने अपने सर को झुकाता है और सफलता पाता है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री में बिहार के नेता में, वह तमाम गुण कूट-कूट कर भड़े हुए हैं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, मैं नियम 31 पर खड़ा हूँ ।

सभापति : सदस्य जब बोल रहे हों, तब आपको क्या कहना हैं, उसको पढ़िये, उसके अनुसार आपको क्या स्पष्टीकरण देना है ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : किसी नेता के आगे सर झुकाने की बात हैं ।

सभापति : बैठिये, आप 31 को पढ़ रहें हैं फिर भी नहीं समझते हैं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं...

सभापति : आपको बोलने का समय नहीं दिया गया हैं तब आप बोलने के लिए कैसे खड़े हो गये हैं, आप बैठ जायें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : इसी प्रसंग में इस बात को कहना चाहता हूं और आसन का संरक्षण चाहता हूं ।

सभापति : चेयर जब आपको अनुमती देगा तभी आप खड़े होकर बोलेगें ।

श्री मुन्शीलाल राय : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं ।

सभापति : किस नम्बर से ?

श्री मुन्शीलाल राय : नियम 33 के अन्तर्गत व्यवस्था के प्रश्न है ।

सभापति : मैं सदन में आग्रह करता हूं कि सदन इस बात को सुनें । माननीय सदस्य श्री मुन्शीलाल राय जी, नियम के अत्यंत जानकार हैं, सदस्यों को बोलते समय 'व्यवधान-यदि किसी सदस्य को बोलते समय किसी दूसरे सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टिकरण देना चाहें, बोलते हुए सदस्य से कोई जानकारी, स्पष्टीकरण मांगे तो वे अपने आसन से उठकर खड़े होगें यदि अध्यक्ष उन्हें पुकारे तो अपना स्पष्टीकरण देगें, तभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगेंगे और यदि नहीं पुकारा जाए तो बैठ जायेगें ।

श्री निल मोहन सिंह : तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सभापति जी, जब माननीय सदस्य प्रोफसर वर्मा बोल रहे है कि जिस ट्रांसफर पोस्टिंग की बात तो मुझे इस बात के लिए तकलीफ है कि जिस दिन बिहार के पवित्र भूमि पर, चन्द्रगुप्त और अशोक की भूमि पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद देश रत्न का भूमि बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह और श्री अनुग्रह नारायण सिंह, आधुनिक बिहार के निर्माता, श्री सत्येन्द्र नरायण सिंह ने शपथ ग्रहण किया उसी दिन उन्होनें उदघोषित क़र दिया ।

श्री मुन्शीलाल राय : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति : आप इस आसन से जो भी कहना चाहें, वह कहें ।

श्री मुन्शीलाल राय : माननीय सदस्य श्री संकटेश्वर सिंह को बैठा दिया, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा जो नियम 31 के अन्तर्गत बोल रहें थे, उन्हें नहीं बोलने दिया, तो क्या स्कूल में हमलोग विद्यार्थी हैं और आप हमारे टीचर हैं, आपके नियम तो सुनना होगा ।

सभापति : मैं न शिक्षक हूं और आप न विद्यार्थि हैं, यह सदन चलता है नियम और प्रक्रिया के मुताबिक ।

श्री नीलमोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी श्री मुन्शीलाल राय जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे हमारी बात को सुने ।

Our Chief Minister is totally committed to the concept of the collective respensibility of the cabinet.

माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को उस दिन उदघोषित किया जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही कहा आज से किसी भी पदाधिकारी का पदस्थापन मात्र, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया जायेगा, पूरे मंत्रिमंडल के निर्णय के उपरान्त ही किए जायेगें । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि

है कि प्रजातांत्रिक आत्मा को मजबूत कर रही है और इस काम में बिहार की जनता सरकार के साथ है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया उस समय बिहार में शिक्षकों की हड़ताल चल रही थी, विश्वविद्यालय बंद थे, महाविद्यालय बंद थे आपने देखा की किस खुबसुरती से हड़ताल समाप्त करायी, विश्वविद्यालय आज चल रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, छात्रों का कोई आन्दोलन नहीं और यह इस बात का प्रतीक है सभापति महोदय और बड़े-बड़े पोलिटिकल पंडित और सोसोलोजिस्ट ने कहा है कि-

Student unrest on a large scale is a maifestation of the simmering discontentment among the masses againt the existing goverment.

लेकिन सभापति महोदय, आज कहीं भी छात्र आंदोलन नहीं है, कहीं शांति भंग नहीं हो रही है । यह इस बात का प्रमाण है कि आज जनता हमारे साथ है, जमुरियत का आवाम इस सरकार को चाहती है ।

सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं । मैं जर्नादन बाबू से उम्मीद कर रहा था कि वे बांका को जिला बनाने की मांग करेंगे । लेकिन वे बार-बार यही कहते है कि सरकार बलात्कारी है, सरकार बलात्कार करती है उन्हें नहीं मालुम है कि सरकार स्त्रीलिंग है बलात्कार की चर्चा करते समय गुजार दिया । इस प्रकार उन्होंने बांका को जिला बनाने की मांग नहीं किया ।

सभापति जी, मैं मांग करता हूं कि बांका को जिला बनाया जाय । साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं कि आगिंका साहित्य के लिये एक आंगिका एकेडमी का निर्माण किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करता हूं और अपनी बात सताप्त करता हूं ।

श्री शकुनी चौधरी : सभापति महोदय, हजारीबाग दंगा के संबंध में बहुत सारी बातें मानीय सदस्यों ने की । उसको मैं घ्यान से सुन रहा था । पक्ष के लोग कहते थे कि विपक्ष के लोग जिम्मेदार है और विपक्ष के लोग कहते थे कि सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं । सभापती महोदय, सवाल हैं कि हजारीबाग दंगा चाहे जिस पक्ष के कारण हो इस तरह के दंगे से बिहार की जो बरबादी है वह देखने लायक है । मैं आपके माघ्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के दंगे को रोकने के लिये पूर्व से ही सरकार को चाहिये कि खासकर सी० आई० डी० विभाग के लोगों को इस तरह सक्षम बनाये कि घटना घटने के पहले घटना घटने की सुराख या सूचना समय पर सरकार को दे सके । सभापति महोदय, स्थिति की गंभीरता को देखते हुये यह आवश्यक है क्योकि आपने देखा कि किस तरह की हमारे एक विधायक की हत्या कर दी गयी । यह सरकार के लिए चिंता का विषय है और इस तरह की चुनौती को चाहे किसी तरफ से हो रही हो किसी की गलती से हो अपराधियों को पकड़ने के लिये हर हालत में चुनौती को स्वीकार करना चाहिये । सभापति महोदय, 1984 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जब मुंगेर के दौरे पर गये

हुये थे उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि मुंगेर को हर हालत में कमीशनरी बनाया जायगा । उस समय तत्कालीन मंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह थे उनके द्वारा घोषणा की गयी थी । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिले को कमीशनरी बनाया जाय ।

सभापति : कृपया अब समाप्त करें ।

श्री शकुनी चौधरी : सभापति महोदय, मैं एक बहुत जरूरी बात की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । तारापुर के संबंध में कहना चाहता हूं कि तारापुर मुगेंर जिला से मात्र 55 किलो मीटर दुरी पर हैं वहां से लखीसराय की दुरी 45 कि० मी० है । लखीसराय से शेखपुरा की दुरी 32 कि० मी० है और लखीसराय से जमुई की दूरी 32 कि० मी० है । ये सभी सब डीविजन बन गये है । इसलिये मै सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तारापुर जो मुगेंर से 55 कि० मी० की दूरी पर अवस्थित है उसे अनुमंडल का दर्जा दिया जाय ।

सभापति : मा० सदस्य कृपया बैठ जाय । मा० सदस्य श्री लक्ष्मण राय अपनी बात कहें ।

श्री लक्ष्मण राय : सभापति महोदय, अभी इस सदन में सामान्य प्रशासन का बजट पेश किया गया है उसके संमर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने जिले की समस्याओं के संबंध में कहना चाहूंगा । वर्ष 1984 में रोहतास जिला में विक्रमगंज अनुमंडल का उदधाटन

हुआ और वह अनुमंडल बना । सभापति महोदय, उसी समय से वहां अनुमंडल पदाधिकारी पदस्थापित है लेकिन आजतक वहां एस० डी० जे० एम० की पदस्थापना नहीं हुई और न उनका कोर्ट ही बना जिससे वहां के लोगों को काफी तकलीफ होती है । सभापति महोदय, विक्रमगंज में ट्रेजरी का भवन बना हुआ है लेकिन अभी तक वहां ट्रेजरी नहीं खुल रहा हैं जिससे वहां के लोगों को परेशानी होती हैं । मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि यथा-शीघ्र वहां ट्रेजरी का काम शुरू किया जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां आज तक अनुमंडल कार्यालय बनाने की कार्रवाई नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हू कि वहां अनुमंडल कार्यालय यथा-शीघ्र खोला जाये । सभापति महोदय, अब मैं जेल के संबंध में कहना चाहता हूं । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिक्रमगंज में जेल बनाने के लिए राशि का आवंटन किया गया था । सभापति महोदय, मुझे जानकारी है कि वह राशि हजारीबाग भेज दिया गया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिक्रमगंज में यथाशीध्र जेल बनाई जाये ।

सभापति महोदय, जिस दिन पुलिस बजट पेश किया गया था उस दिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था । रोहतास की जो समस्या है विगत एक साल से पुनः बिगड़ गई है । जब वहां आरक्षी अधीक्षक श्री सुर्दशन सिंह गये थे तो विधि-व्यवस्था अच्छी थी, कानून-व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन पिछले एक साल से वहां की स्थिति पुनः बिगड़ती जा रही है । मैं पुरे दिनारे

विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं । पूरे रोहतास जिले की बात नहीं कर पाउंगा इसलिए कि समय कम है । सभापति महोदय, बिस्तरपुर और धनपूरा में तीन-तीन हत्याएं हुई हैं । अभी बलथरी में साढ़े सात बजे दिन में एक शिक्षक की हत्या हुई । उनके भाई की हत्या बुरी तरह कर दी गई । हमारे पत्रकार बंधु, जो सूचना आती है, छाप देतें है । कहते हैं कि क्या एस० पी० वहां इसलिए डेरा डाले हुये हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या एस० पी० वहां इसलिए डेरा डाले हुए है कि वे 3-4 हत्याएं और करा दें । उनके वहां के अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और दूसरी जगह हत्याएं हो जाती है । इस तरह पूरे रोहतास जिले का पुलिस प्रशासन एकदम सुस्त है और वह सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि उनको यथाशीध्र वहां से हटाया जाये ।

सभापति महोदय, पथ निर्माण मंत्री जो यहां अभी नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से पथ के संबंध में कहना चाहूंगा इस से पहले मैं कहना चाहता हूं कि एक कमला सिंह आरक्षी उपा० मोबाईल है । वे किसानों को परेशानी करते हैं । किसानों से उसके ट्रैक्टर पकड़कर उनसे 1500-2,000/-रु० लेकर छोड़ते हैं । यदि वे केस करते तो मामला सराकर के पास आता । लेकिन पैसा लेकर छोड़ देते हैं । इस तरह किसानों को परेशान करते हैं ।

सभापति : आप अब कृपया बैठ जायें ।

श्री लक्ष्मण राय : सभापति महोदय, अब मैं पथ के संबंध में अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं । आरा-मोहनिया

पथ की हालत खराब है । उसकी मरम्मती हुई है और उस मरम्मती पर 72 लाख रुपया खर्च हुआ है । मैं मांग करता हूं कि सरकार इसकी जांच करायें । एस्टीमेंट के कारपेटिंग होना चाहिए, वह नहीं हुआ । विक्रमगंज से दिनारा 12 माईल का पथ है जिस पर सवारी से जाने पर तीन घंटें लगते हैं । उस पथ की हालत बिल्कुल खराब है । वह सड़क बहुत पतली है । बिक्रमगंज-डुमराव पथ के बीच में जो पुल है वह आवागमन के लिए बना था न कि सिंचाई के लिए । उस पुल को सिचाई के लिए इस्तेमाल किया गया जिससे वह दह गया । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस पुल को बनाया जाये और बिक्रमगंज-दिनारा पथ को तीन-तीन फीट अगल-बगल चौड़ा किया जाये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, सरकार उन्हें ग्रहण करेगी । साथ ही साथ रोहतास जिला पुलिस के प्रशासन पर शीध्र अकुंश लगाने की कार्रवाई करेगी क्योंकि इससे सरकार की बदनामी हो रही है ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो कटौती प्रंस्तव पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । जिस दिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया उस दिन जनता के नाम रेडियों से संदेश दिया और कहा कि मैं नैसर्गिक भाव से प्रदेश की सेवा करूंगा । मैंने समझा कि पहले से जो चोंगा अपने चेहरे

पर पहने हुए थे वे उसे उतारकर रख दिये है और तभी नैसर्गिक भाव से प्रांत की सेवा करने की घोषणा की है ।

सभापति इनके समय में एक हरिजन विधायक की हत्या हुई और सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया लेकिन मंजूर नहीं हुआ ।

श्री बृज मोहन सिंह : सभापति महोदय, इससे मुख्यमंत्री का क्या संबंध है मंजूर हो या न हो ।

सभापति : माननीय सदस्य श्री बृज मोहन सिंह आप बैठ जाये । आपको यह मालूम होना चाहिए कि विरोधी दल के तस्कर में जो भी भयानक से भयानक तीर होगा उसे छोड़ेंगे ही आप अपने समय में अपने ढंग से ज़वाब देंगे ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : सभापति महोदय, श्री नरेन्द्र सिंह जब बोल रहे थे, तो आरक्षण की चर्चा कर रहे थे । सभापति महोदय, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जब अपने मुख्यमंत्री से आरक्षण की घोषणा की तो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री का सामंति तेवर देखा गया था और इन्होंने अपने लोगों के द्वारा स्वर्गीय ठाकुर को गालियाँ दिलवाये थे । तो आज मैं कैसे मानू की श्री सत्येन्द्र नारायण बदल गये हैं, और उनका सामंति चरित्र बदल गया है । सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन बांटी गयी किन्तु वर्तमान मुख्यमंत्री के पा[illegible] गया, औरंगाबाद और सीतामढ़ी तक काफी जमीन है लेकिन वे अपनी जमीन को बांट नहीं सके हैं । दो आदमी को वासगीत जमीन का झगड़ा है । अंचलाधिकारी से एस० डी० ओ० तक वह दर्खास्त दिया है

लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका घर नोच दो । इसलिये मैं समझता हूं कि इनसे इस प्रदेश की रक्षा नहीं होगी ? अगर इस तरह का और भी उदाहरण दूंगा तो कहा जायगा कि विरोधी दल के लोग हाथ धोकर पड़ा हुआ है । वर्तमान मुख्यमंत्री एक तरफ किसानों के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ घोषणा करते हैं कि किसानों का बकाया माफ कर देंगे, कोआपरेटिव बकाया माफ कर देंगे ।

कौन बड़ा है, इस मंत्रिपरिषद में बैठने वाले लोग, मुख्यमंत्री, या पदाधिकारी बड़ा है ? आपकी घोषणा होती है कि हम इसको स्थापित करेंगे और बन्दूक के बल पर आपके पदाधिकारी बलपूर्वक किसानों को पकड़कर लाता है । आप बतलायेंगे कि बड़े उद्योगपतियों के यहां जो बिहार में है कॉमर्शियल टैक्सेज का बकाया उनके यहां किसानों के यहां पांच हजार, दस हजार है उससे कम है या ज्यादा है ? कितने उद्योगपतियों के डाड़ में रस्सा लगवाये हैं ? इसी प्रकार से आप नैसर्गिक भाव से इस प्रदेश की रक्षा करेंगे । दलेलचक और बघोरा में काण्ड हुआ, आपने डी० जी० को हटा दिया । श्री त्रिलोकी हरिजन की हत्या हुई, आप कोतवाल को भी हटाया । जी० नारायण को फिर से ले आये । उन्होंने गलतवयानी की कि राम नगीना यादव को मुक्त करा दिया गया डकैतों से । आप बतावे कि राम नगीना यादव कब मुक्त होगें । आप तरीफ की पुल बांधते चले जा रहे हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया । आर० एल० ई० जी० पी०, और एन० आर० ई० पी० में 2965 करोड़ की योजना थी । आपने दोनो को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बना दिया

और यह योजना मात्र 2625 करोड़ की हो गयी । इस प्रदेश के लोगों को आज रोटी चाहिए । आप कहते हैं कि हम देंगे हीरा, जवाहर और मोती । हीरा, जवाहर और मोती आप आपने पास रखिये ।

सभापति : अब आप बैठ जायं ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : सभापति महोदय, आप जब इस सदन पर है तो मुझे लगा कि आप नियम से इस सदन को चलायेंगें । कटौती प्रस्ताव के मुभर को 15 मिनट और दूसरे माननीय सदस्य को 10 मिनट का समय देगे ।

संभापति : मैं आपको 10 मिनट दे चुका हूं ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : दो मिनट और दिया जाय ।

सभापति : क्यों अब नियम कि बात नहीं उठी ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : आज इस प्रदेश में सभापति जी जो हरिजन, पिछड़े और कमजोर वर्ग के अफसर हैं उनकी गर्दन पर नंगी तलवार लटकी हुई है । ना जाने किस समय वे कहां फेंका जायेगें । यहीं ये हरिजनों की नैसर्गिक सेवा करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं आप कितने हरिजनों और पिछड़े लोगों को एस० पी० बनाये ? आप बतायेंगे, कितने हरिजनों और पिछड़ों को अपने जिला में समाहर्त्ता बनाया । उसमें खोजे चलियेगा, पुलिस के कुता की तरह फाइल सूघंते चलियेगा कि मेरा बराबरी कौन कलक्टर होगा और बुथ कैपचर कर कितने लोगों को विधान सभा में भेजेगा । और आप नैसर्गिक सेवा करने की बात करते हैं ।

सभापति : अब आप बैठ जायं ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : मैं एक बात अन्त में कहना चाहता हूं । एक राम निरजन राय डी० एस० पी० है । उस पर आरक्षी अधीक्षक के दामाद ने झुठा मुकदमा दहेज का किया । उसकी जांच कि गयी । जांच के बाद वह मुकदमा सत्य पाया गया । अंतिम प्रतिवेदन के लिये कोर्ट में भेजा गया और नैसर्गिक भाव से सेवा करनेवाले मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो फिर उसके हुक्म से झुठा मुकदमा एक गरीब आदमी पर शुरू हो गया । अगर इस तरह से गरीब लोगों को, हरिजन और पिछड़े लोगो को तंग किया जायगा तो न सिर्फ दक्षिण बिहार बल्कि इस तरह से जो बातें उठ रही हैं उससे पूरे बिहार में आग लगेगी । समाप्त ।

श्री यमुना प्रसाद राम : सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो मांग सदन में पेश की गयी है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, आज बिहार की सरकार प्रशासन-तंत्र को चुस्त और दुरूस्त बनाने के लिये काफी प्रयत्नशील है । आज हमारे उस पक्ष के लोग कहते हैं कि हजारीबाग के दंगे हुए, त्रिलोकी हरिजन की हत्या हुई । माननीय सभापति महोदय, घटना घटना है । घटना से कोई इन्कार नहीं कर सकता है । लेकिन आपको देखना होगा कि सरकार की मंशा क्या है और सरकारी तंत्र की मंशा क्या है और किस रूप में कार्य कर रही है । आप हजारीबाग के दंगा का जिक्र कर रहे हैं । दंगा हुआ इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं । लेकिन जो

आपकी भावना थी, जो आप चाहते थे, जो आप सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहते थे उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि सरकार ने मुस्तैदी के साथ, उनके अफसर ने मुस्तैदी के साथ घटना को काबू किया । जो घटना आप बढ़ाना चाहते थे उसको सरकार ने अपने प्रशासन के जरिये काबू करके घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया । इसी प्रकार हमारे माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी हरिजन की हत्या हुई । चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के सबों को इससे दुःख हुआ है । इस घटना से प्रशासन को भी चिन्ता है और सरकार को भी चिन्ता है । जब यह घटना हुई तो बिहार सरकार के कबिना स्तर के 4-5 मंत्री वहां जाकर स्थिति का जायजा लिये और जब 10 तारिख को मुख्यमंत्री दिल्ली से आये तो वे भी घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिये और आवश्यक निर्देश प्रशासन को दिये । श्री त्रिलोकी हरिजन की विधवा पत्नी को शन्तावना देते हुए उन्हें एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की ।

हमलोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि उनकी स्थिति को देखते हुए अनुग्रह राशि को बढ़ा दें । सभापति महोदय, जब मैं जिला प्रशासन को और मजबूत करने की बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं । जितने भी आज विकास की योजनाएँ है, सभी जिला प्रशासन के माध्यम से कराये जाते हैं, लेकिन जो फन्ड जिला प्रशासन को दिया जाता है और योजना के लिये इयर मार्कड किया जाता है, उसको जिला प्रशासन द्वारा डायभर्ट कर दिया जाता है । 1986-87 में पूर्णियां

जिला में रिलिफ फन्ड का रुपया जिला प्रशासन द्वारा डायभर्ट कर दिया गया और इसके चलते सारी योजनाएं अधूरी पड़ी रह गयी । जिला प्रशासन ने मनमानी किया है । मेरा आग्रह है कि आप उसकी जांच करायें और इस पर आवश्यक कार्रवाई करें । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार को बतलाना चाहता हूं कि 1986-87 में सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में एन० आर० इ० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के काम हुए । सभी में अर्थ वर्क हो गया, लेकिन ह्यूम पाईप के बिना कलभर्ट नहीं बन सका । आश्वासन मिलता रहा कि हयूम पाईप दे रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं मिल सका । इसके चलते जो राशि सड़क पर खर्च की गयी है, वह बर्बाद हो चुका है । सभापति महोदय, आप मानते हैं 1986-87 में बाढ़ आयी थी और पूर्णियां जिला में 400 नाव बनाने के लिए राशि दी गयी थी लेकिन नहीं बन सका । पूर्णिया के जिलाधिकारी से बात हुयी है कि नाव की व्यवस्था नहीं है । मैं मांग करता हूं कि अविलम्ब वहां नाव की व्यवस्था की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार द्वारा जो मांग प्रस्तुत किया गया, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री ध्रुव भगत : सभापति महोदय, सरकार की तरफ से जो मांग रखी गयी है उसके विरोध में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान छोटानागपुर-संथालपरगना की ओर ले जाना चाहता हूं । सभापति महोदय, 40 वर्षो की आजादी के बाद आप जांच करावें तो स्पष्ट रूप से जानकारी हो जायेगी कि वनांचल अलग करने की मांग क्यों हो रही है । साहेबगंज जिला के साथ-साथ

छोटानागपुर और संथालपरगना के सभी जिलों के बजट को काटकर दूसरे जिला को दिया जाता है । सरकार सभी जिला के योजनाओं की जांच करावें तो पता चलेगा कि इन जिलों में सभी योजनाओं के काम अधूरे पड़ हुए हैं । सरकार पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रही है । सभापति महोदय, अंग्रेजों के समय से राजमहल अनुमंडल रहा है । 1944 में इसे साहेबगंज ट्रान्सफर कर दिया गया । मैंने कई बार सदन में प्रशन उठाया और मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि जब जिला के बनाने पर विचार होगा तो इसपर भी विचार होगा लेकिन दुर्भाग्यवश राजमहल में दो मुंसिफ मैजिस्ट्रेट रहते हैं, सरकार के कार्यालय चल रहे हैं लेकिन इसे अनुमंडल का दर्जा नहीं दिया गया । कांग्रेस सरकार बम और गोली की बात सुनती है । जहां गोली ज्यादे चलती है, हत्या ज्यादा होती है, उसकी बात सुनती है लेकिन साहेबगंज शांतिपूर्ण जिला है इसलिये आप राजमहल में अनुमंडल नहीं बनावेगें । इसका जवाब सरकार नहीं देगी । दूसरा साहेबगंज में जो अनुमंडल है वह राजमहल का अनुमंडल है । साहेबगंज जिला बने तीन चार साल हो गये, लेकिन वहां बहुत से जिला कार्यालय नहीं बने हैं ।

सभापति महोदय, साहेबगंज में तीन चार महाविद्यालय पिछले दिन खुले लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन महाविद्यालयों में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध समिति अभी तक नहीं बने । मैं मांग करता हूं कि साहेबगंज विश्वविद्यालय की स्थापना करें और साहेबगंज में स्नातकोत्तर पढ़ाई होती है, अतः मेरी मांग है कि वहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई आरम्भ की जाय । सभापति

महोदय, संथालपरगना और साहेबगंज में 1977 के बाद जितनी नियुक्ति हुई वह एक भी अखबार में नहीं छपी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में सभी पद भर दिये गये । बराबर घोषणा की जाती है कि अनियमित नियुक्ति की सफाई करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया । साहेबगंज शहर लीज ऐरिया में है, खास महाल में है लेकिन रैयति जमीन है लेकिन लोग रोज खरीद-बिक्री करते हैं । लीज समाप्त करने के लिए हमलोग प्रश्न उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ । रामाश्रय बाबू से मेरा अनुरोध होगा कि साहेबगंज का लीज समाप्त करे और रैयती जमीन डिकलेयर किया जाय । सभापति महोदय, हमारे यहां हिरोइन और ब्राउन सुगर का व्यापार धरल्ले से चल रहा है और इसे पकड़ने के लिये एस० पी० और कलक्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में बिहार सरकार कोई कानून नहीं बनाया है कि हम पकड़ सके । मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि हीरोइन और ब्राउन सुगर के व्यापार करने वालों को पकड़ने का अभियान चलावें ।

(अध्यक्ष महोदय आसन ग्रहण किये)

श्री मोचीराय मुंडा : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा प्रस्तुत मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । छोटानागपुर, संथालपरगना जो पठारी इलाके हैं । वहां ला एन्ड आर्डर नहीं है । लोग भयभीत हैं सशंकित है । सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे । इस पठारी इलाके में जो गड़बड़ी है उसके बहुत

कारण है । उसमें प्रशासन का ही दोष नहीं है । वहां बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से राजनीतिक पार्टी हैं....

श्री मोचीराय मुंडा : ये लोग होश में नहीं आ रहे हैं । पत्थरीली इलाके के जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, हरिजन है, वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और अपने अनुशासन में रहते हैं, अब उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है । माननीय सदस्य आप कृप्या दो मिनट के लिये स्थान ग्रहण करे ।

माननीय सदस्यों के निलंबन की वापसी का प्रस्ताव–

श्री राम शरण प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य गण और अन्य जो माननीय सदस्य है उनसे भी बातें हुई हैं, और सरकारी पक्ष के लोगों से भी बात हुई है । विपक्ष के माननीय सदस्य आज के दिन सदन की कार्यवाही सही ढ़ंग से चला रहे हैं । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

"दिनांक 17 जुलाई 1989 को जो माननीय विरोधी दल और विभिन्न विपक्षी दल के सदस्य निलंबित किए गए थे, उसके बाद दिनांक 18 और 21 जुलाई, 1989 को भी निलंबन आदेश हुआ था, उनके निलंबन आदेश को वापस किया जाता हैं और अभी से वे सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते है । मैं उनका नाम पढ़ देता हूं ।

दिनांक 17 जुलाई, 1989 को निलंबित सदस्यों का नाम–

1. श्री लालू प्रसाद
2. श्री बच्चा चौबे